न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः– 82/2025

प्रार्थिनीः–

बालकुंवर पत्नी तनसिंह जाति राजपूत निवासी धारणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्रसिंह सोढा अधिवक्ता प्रार्थिनी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 03.11.2025

यह आवेदन प्रार्थिनी द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 136 के तहत पेश किया गया है, आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी की खातेदारी खेत ग्राम रेलो की सरा तहसील सिवाना में नया खसरा संख्या 232 पुराना खसरा संख्या 161 अवस्थित है सर्वे रिसर्वे से पूर्व उक्त खसरा ग्राम देवपुरा में अवस्थित था। ग्राम रेलो का सरा के खसरा संख्या 232 के नक्शे में सहवन से लिपिकीय त्रुटि के कारण पूर्व के नक्शे को बदिशा पश्चिम की ओर बढाकर तथा पूर्व की सीमा को पश्चिम की तरफ बढाकर प्रार्थिनी के कब्जा सुदा भूमि जिसमें रहवासीय मकानात भी शामिल है से प्रार्थिनी को बेदखल कर पूर्वी सीमा पर स्थित खसरा संख्या 233 में शामिल कर दिया जिससे प्रार्थिनी को अपने कब्जे को लेकर निरन्तर संशय बना हुआ है उक्त सर्वे रिसर्वे के दौरान प्रार्थिनी के पुराने खसरा संख्या 161 में किसी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर संचालित नहीं है जबकि वर्तमान में प्रार्थिनी के खातेदारी खेत के बदिशा पश्चिम के खेत खसरा संख्या 206 मे मौके पर रास्ता कायम है खसरा संख्या 206 मे संचालित रास्ता प्रार्थिनी की भूमि में दर्शाकर प्रार्थिनी के नाम से नया खसरा संख्या 215 कायम करते हुए किस्म गै.मु.रास्ता दर्शा दिया गया । प्रार्थिनी द्वारा राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण तरमीम को दुरूस्त किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई।

तहसीलदार सिवाना द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की।

प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे व राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी का कब्जा खसरा संख्या 233 में अवस्थित है जो सर्वे रिसर्वे के पश्चात खसरा संख्या 233 में दर्शित हो रहा है तथा खसरा संख्यां 223 का रकबा 3.9839 मे ROR से 0.0581 हैक्टेयर भूमि अधिक है, प्रार्थिनी के खाते में खसरा संख्या 215 रकबा 0.2206

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.28 17:09:32 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता जुडा हुआ है जो मौकेनुसार खसरा संख्या 206 जिसमें ROR से 0.2274 हैक्टेयर भूमि कम हुई है में चलायमान है अतः खसरा संख्या 215 को खसरा संख्या 206 के खाते में जोडा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम रेलो की सरा तहसील सिवाना के नवीन खसरा संख्या 232 की नक्शा में विद्यमान वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रेषित नक्शा अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 03.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.28 17:09:32 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्शा

मौजा - रेलो बासरा

तहसील - सिवाना

प्रस्तावित नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

(भू.अ.)
धारणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.28 17:09:32 IST
Reason: SelfAttested